फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

अब्बाराम बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व वाद, नम्बर :– 344/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.215	वकील वादी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत् पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा–चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 290, 291 कुल किता 02 कुल रकबा 0–12, 163–12 बीघा में अना पुत्र अमरा दर्ज हैं। वास्तविक नाम अब्बाराम पुत्र अमराराम हैं। सबूत में वादी मूलाराम ने पहचान–पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं। राजस्व लोक अदालत में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा–चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 290, 291 कुल किता 02 कुल रकबा 0–12, 163–12 बीघा में वादी का नाम अना पुत्र अमरा दर्ज हैं जबकि सबूत के आधार पर अब्बाराम पुत्र अमराराम बखूबी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान–पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। अना पुत्र अमरा के स्थान पर अब्बाराम पुत्र अमराराम को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा–चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 290, 291 कुल किता 02 कुल रकबा 0–12, 163–12 बीघा भूमि में अना पुत्र अमरा के स्थान पर अब्बाराम पुत्र अमराराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। SDO	

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

अब्बाराम पुत्र अमरराम
जाति सीरवी
निवासी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

तहसीलदार

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 344/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 290, 291 कुल किता 02 कुल रकबा 0-12, 163-12 बीघा भूमि में अना पुत्र अगरा के स्थान पर अब्बाराम पुत्र अमराराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुवलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व गोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।

गोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner